प्रेस नोट

सराहनीय कार्य कानपुर देहात

दिनांक- 12.06.2025

- **थाना शिवली पुलिस टीम द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए वादी के भाई पर जानलेवा हमला करने वाले 01 नफर अभियुक्त को 24 घण्टे के अन्दर किया गया गिरफ्तार।**
- **अभियुक्त के कब्जे से घटना में प्रयुक्त 01 अदद कुल्हाड़ी बरामद की गयी।**

कृपया अवगत कराना है कि अपर पुलिस महानिदेशक, कानपुर जोन, कानपुर, श्री आलोक सिंह व पुलिस उपमहानिरीक्षक, कानपुर रेन्ज, कानपुर श्री हरीश चन्दर के कुशल मार्गदर्शन में एवं पुलिस अधीक्षक कानपुर देहात श्री अरविन्द मिश्र के निर्देशन में जनपद कानपुर देहात में आपराधिक घटनाओं की रोकथाम व खुलासे हेतु चलाये जा रहे विशेष अभियान के क्रम में दिनांक 11.06.2025 को वादी श्री सरवन कठेरिया पुत्र स्व0 धुनआ निवासी ग्राम रैपालपुर थाना शिवली जनपद कानपुर देहात की तहरीरी सूचना बावत अभियुक्त द्वारा वादी के भाई विश्वनाथ कठेरिया को जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करते हुए गाली गलौज करना एवं जान से मारने की नियत से कुल्हाड़ी से हमला कर देने के सम्बन्ध में मु0अ0स0 161/2025 धारा-115(2)/118(1)/352/351(3)/109(1) बीएनएस व 3(2)5 एससी/एसटी एक्ट पंजीकृत किया गया था। उक्त अभियोग में थाना शिवली पुलिस टीम द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए मुखबिर से प्राप्त सूचना के आधार पर अभियुक्त 1. राजवीर सिंह चन्देल पुत्र हरिपाल सिंह निवासी ग्राम रैपालपुर थाना शिवली जनपद कानपुर देहात को 24 घण्टे के अन्दर भाऊपुर की रेलवे क्रासिंग के पास से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से घटना में प्रयुक्त 01 अदद कुल्हाड़ी बरामद की गयी। गिरफ्तारशुदा अभियुक्त को नियमानुसार माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण –

1. राजवीर सिंह चन्देल पुत्र हरिपाल सिंह निवासी ग्राम रैपालपुर थाना शिवली जनपद कानपुर देहात।

गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहास

1. मु0अ0स0-161/2025 धारा 115(2)/118(1)/352/351(3)/109(1)बीएनएस व 3(2)5 एससी/एसटी एक्ट थाना शिवली कानपुर देहात।

बरामदगी –

1. घटना में प्रयुक्त 01 अदद कुल्हाड़ी।

<u>गिरफ्तार करने वाली थाना शिवली पुलिस टीम-</u>

1. उ0नि0 श्री केशव देव
2. का0 1038 बीनू कुमार
3. का0 832 प्रवीन कुमार
4. का0 498 बोबी सिंह